

## नोटिस

दिल्ली विकास प्राधिकरण के सभी कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पूर्व में जारी किए गए कागज वाले चिकित्सा पहचान पत्रों के बंद कर दिया गया है तथा ये केवल 31.03.2013 तक वैद्य होंगे। दिनांक 31.3.2013 के बाद तथा 01.04.2013 से चिकित्सा सुविधाएं केवल नए बायो-मीट्रिक चिकित्सा पहचान पत्र के आधार पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी। जिन कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बायो-मीट्रिक कार्ड नहीं बनवाया है, वे अबाधित चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए 01.04.2013 से पहले इसे बनवाएं। बायो-मीट्रिक चिकित्सा कार्डों के संबंध में किसी भी सूचना के लिए कृपया फोन नं. 011-24635051 पर संपर्क करें अथवा कमरा नं. सी-1/206 विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली-110023 पर संपर्क करें।

ह/-

(मनीश कुमार)

मुख्या लेखा अधिकारी